राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, 22 गोदाम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांकः एस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/2022/3692-3724 दिनांकः 31/05/2022

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त राजस्थान।

विषय : इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) में संविदा पदों को भरने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : पूर्व विभागीय पत्रांक एफ.56(क)( )सीई/डीएलबी/ IRGY(U)/2022–23/ 32911–943 दिनांक 12.05.2022 आपका पत्रांक मु.मं./वि.स.(एडीएच)/एलएसजी /2021/3888 दिनांक 24.03.2021 एवं अ.शा. पत्र दिनांक 20.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में संविदा पदों की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है :–

01. विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 32307 दिनांक 12.05.2022 बिन्दु सं0 (ब) निकाय स्तर पर श्रेणीवार कार्मिक संविदा आधार पर लिये जाने की सहमति के क्रम सं0 1 पर सहायक अभियंता के स्थान पर वरिष्ठ तकनीकी सहायक तथा क्रम सं0 2 पर कनिष्ठ अभियंता के स्थान पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक पदनाम संशोधित किया जाता है।

02. विभाग द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की गाईड लाईन/दिशा निर्देशों के प्रपत्र 4 में निकाय स्तर पर संविदा कार्मिक की टेबिल में अंकित पदनाम वरिष्ठ तकनीकी सहायक (A.En.) के स्थान पर वरिष्ठ तकनीकी सहायक पदनाम तथा इस पद की योग्यता में अंकित अनुभव की शर्त को विलोपित किया जाता है। इस शर्त को विलोपित करने के पश्चात वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु योग्यता सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोतर/स्नातक डिग्री रहेगी।

03. विभाग द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की गाईड लाईन/दिशा निर्देशों के प्रपत्र 4 में निकाय स्तर पर संविदा कार्मिक की टेबिल में अंकित पदनाम कनिष्ठ तकनीकी सहायक (J.En.) के स्थान पर पदनाम कनिष्ठ तकनीकी सहायक किया जाता है।

04 संविदा भर्ती पूर्णतया मेरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार हेतु कोई प्रावधान नही रखा जावे।

05. संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट तैयार की जावे।

06. संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्रीधारियों से तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारियों से भरे जावेंगे।

07. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।

08. एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में संविदा अनुबन्ध किया जावेगा अन्यथा सभी संविदा अनुबन्ध निरस्त कर दिये जावेगे।

09. शहरी रोजगार सहायक सविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT के प्राप्तांको के आधार पर की जावेगी, परन्तु मेरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जावेगा। RSCIT हेतु मेरिट में कोई प्रावधान नही रखा जावे।

10. मशीन विथ मैन संविदा पद हेतु RTPP Act के तहत प्रावधान में रखे जायेगें।

11. मल्टी टास्क वर्कर/होमगार्ड नागरिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से रखे जायऐगें।

12. संविदा भर्ती वरीयता के आधार पर की जावेगी तथा पदवार सभी पदों के लिए कुल पदों का क्रमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।

13. इस संविदा भर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नही होगा।

14. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.02.2022 के क्रम में संविदा भर्ती के पदों का आरक्षण/रोस्टर एकीकृत रूप से जिला स्तर पर (जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना

समन्वयक) रखा जाना है, ना कि प्रत्येक नगरीय निकाय के स्तर पर अर्थात संविदा भर्ती की यूनिट जिला (DPC) होगा ना कि नगरीय निकाय।

15. संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती जिले के समस्त स्थानीय निकायों के संविदा पदों की पदवार गणना कर जिला स्तर पर ही की जाएगी, जिसमें संविदा भर्ती नियम, 2022 के नियम 10 के अनुसार प्रावधित आरक्षण प्रावधानों की पालना की जाएगी। पारदर्शिता हेतु चयन उपरान्त इनका आवंटन स्थानीय निकायों को जरिए लॉटरी से किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार के विवेकाधिकार का स्थान नही हो।

16. उपरोक्तानुसार संविदा भर्ती किये जाने के उपरान्त नगरीय निकायों का आवंटन सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।

17. उपरोक्त के साथ–साथ Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules, 2022 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर संविदा पदों को भरने की कार्यवाही की जावे।

संविदा भर्ती की कार्यवाही जिला कलेक्टर स्तर से एकीकृत रूप से की जावेगी। इसके लिए सम्बन्धित क्षैत्रीय उप निदेशक एवं सम्बन्धित निकाय जिला कलक्टर को आवश्यक सहयोग करेंगे।

यह स्वीकृति कार्मिक विभाग की सहमति एवं वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 102001948 दिनांक 02.05.2022, आई0डी0 संख्या 102202121 दिनांक 02.05.2022 एवं आई0डी0 संख्या 172201667 दिनांक 30.05.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/2022/3725-4573 दिनांकः 31/05/2022

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीगण (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
06. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राज0 जयपुर।
08. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
09. निजी सचिव, विभागाध्यक्ष (समस्त) राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
11. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
12. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
13. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
14. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
15. वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
16. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क) निदेशालय को प्रिन्ट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशन करवाने हेतु पालनार्थ
17. श्री अशोक मीणा, एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक